न्यायालय सिविल जज जूनियर डिवीजन, बांसगाँव, गोरखपुर

मूलवाद सं० 482/2017 **JO Code– UP2438**
हरिन्दर सिंह बनाम गोरख **CNR No– UPGK120007992017**
दिनांक 06–03–2021

पत्रावली पुकार पर पेश। उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते सुनवाई/निस्तारण प्रार्थना पत्र 7 ग नियत है।

प्रार्थना पत्र 7 ग का निस्तारण

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज सं० 7 ग मय समर्थित शपथ पत्र 8 ग वादी द्वारा इस आशय का लाया गया है कि वादी आराजी सं0 371 रकबा 0.020 हे0 यानि 05 डि0 जिसे जमींदार के रजामन्दी से अरसा सैकड़ो वर्ष पूर्व से काबिज दखिल चले आ रहे है। पूर्वजों के मृत्यु के बाद वादी व परिवार वादी का कब्जा दखल चला आ रहा है। विवादित भूमि को वादपत्र के नक्शा नजरी में अक्षर ए,बी,सी,डी बरंग लाल से दर्शित किया गया है। जिसको बतौर वादी सहन आबादी घेरा अगवारा–पिछवारा के रुप में प्रयोग करता चला आ रहा है। मुद्दत दराज से कब्जा दखल होने के कारण विवादित भूमि धारा 9 Z.A Act के अन्तर्गत सरकार उ0प्र0 द्वारा वादी के पूर्वज बादहू वादी के साथ सेटिल्ड हो गया है। उक्त भूमि से प्रतिवादी का कोई वास्ता सरोकार नही है। प्रतिवादी द्वारा वादी की सहन घारी में अतिक्रमण कर निर्माण करने की धमकी दिया जा रहा है। मना करने पर आमादा फौजदारी है। मुकामी पुलिस प्रतिवादी के साजिश में है। यदि प्रतिवादी द्वारा कोई निर्माण कर लिया गया तो वादी की अपूर्णनीय क्षति होगी। इसप्रकार वादी द्वारा वादपत्र के अन्त में दर्शित विवादित संपत्ति के बावत न्यायालय से अन्तरिम निषेधाज्ञा का आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी है।

प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र 7 ग पर आपत्ति कागज सं० 18 ग मय समर्थित शपथ पत्र 19 ग दाखिल किया गया है। अपनी आपत्ति में प्रतिवादी द्वारा मुख्य रुप से यह कथन किया गया है कि दरखास्त निषेधाज्ञा वादी बिल्कुल गलत खिलाफ कानून असलियत के है। प्रश्नगत जायदाद वादी का पूर्वजी मकान कभी नही रहा और नही उक्त भूमि उसके पूर्वज के साथ धारा 9 जमींदारी विनाश कानून अधिनियम में सेटिल्ड हुई और न ही वादी उसका आबादी होल्डर है। वादी का कोई वास्ता सरोकार प्रश्नगत जायजाद से नही है। प्रश्नगत जायजाद में प्रतिवादी का मकान सहन अगवारा पिछवारा है। उक्त भूमि कागजात में आबादी श्रेणी 6(2) दर्ज है। प्रतिवादी प्रश्नगत जायदाद में आबादी होल्डर है। प्रतिवादी द्वारा वादी के कब्जा दखल में हस्तक्षेप किये जाने का कोई सवाल ही नही उठता। इसप्रकार प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र 7 ग खारिज किये जाने की न्यायालय से याचना की गयी।

प्रतिवादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रुप में फर्द सबूत 21 ग के माध्यम से खतौनी कागज सं० 22 ग दाखिल किया गया है।

प्रस्तुत दावा दिनांक 22–05–2017 को संस्थित हुआ। प्रतिवादी को नोटिस जारी हुई। प्रतिवादी न्यायालय उपस्थित आये। न्यायालय द्वारा दिनांक 08–12–2020 को उभयपक्ष को सुनकर अमीन रिपोर्ट कागज सं० 14 ग मय नक्शा नजरी 15 ग व 16 ग साक्ष्याधीन पुष्ट किया गया।

उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ता को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से यह दर्शित है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के अन्त मे दर्शित विवादित संपत्ति ए,बी,सी,डी बरंग लाल अन्तर्गत आराजी 371 ख रकबा 0.020 हे० यानि 5 डि० के बावत प्रतिवादी के विरुद्ध शाश्वत व्यादेश के अनुतोष हेतु लाया गया है। प्रार्थना पत्र 7 ग के माध्यम से वादी द्वारा विवादित संपत्ति के बावत प्रतिवादी के विरुद्ध अन्तरिम निषेधाज्ञा का आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी है। प्रतिवादी द्वारा फर्द सबूत 21 ग से आराजी सं० 371 के बावत खतौनी कागज सं० 22 ग दाखिल की गयी है। उद्धरण खतौनी कागज सं० 22 ग के अनुसार प्रतिवादी गोरख पुत्र दुखहरन का नाम आराजी सं० 371 रकबा 0.020 हे० उ०प्र० भूराजस्व संहिता 2006 की धारा 167 क के अनुसार उसके हक में बंदोबस्त किये जाने तथ्य अंकित है। अमीन रिपोर्ट कागज सं० 14 ग मय नक्शा व नजरी 15 ग व 16 ग मे विवादित संपत्ति को चिन्हित किया गया है। प्रतिवादी द्वारा अपनी आपत्ति कागज सं० 18 ग में यह कथन किया गया है कि वादी का कोई वास्ता सरोकार विवादित भूमि से नही है। विवादित

जायदाद में प्रतिवादी का मकान सहन, अगवारा, पिछवारा, आबादी श्रेणी 6(2) दर्ज है। प्रतिवादी प्रश्नगत जायदाद का आबादी होल्डर है। वादी का कोई प्रथम दृष्टया मामला नही है, ना ही सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में है। इस प्रकार वादी द्वारा प्रार्थना पत्र 7ग निरस्त किये जाने की न्यायालय से याचना की गयी है।

मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 7ग स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त नही है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 7ग अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 12–05–2021 को पेश हो।

(आशीष कुमार सिंह)
सिविल जज जू०डि०
बांसगाँव, गोरखपुर।